PUNJAB KESARI, Delhi, 28.11.2020
Page No. 7, Size:(13.63)cms X (12.36)cms.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली सरकार के विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार अदालत के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं निर्वाचन आयोग के उपराज्यपाल ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित करने की कृपा की है।

8 जुलाई, 2019 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 और 31 के तहत आवश्यक देश भर के प्रत्येक जिले के लिए मानवाधिकार अदालतों को विशिष्टता और स्थापित करने की मांग की गई थी। विधि की छात्रा भाविका पोर द्वारा दायर याचिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) की नियुक्ति की भी मांग की गई है। वकील मनोज वी जॉर्ज के माध्यम से दायर जनहित याचिका में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया था कि पुलिस क्रूरता, प्रताड़ना और अधिक हिरासत और मुठभेड़ों से होने वाली मौतों, जेल में भयानक परिस्थितियों, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और गैरकानूनी नजरबंदी, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षण से इनकार जैसे विभिन्न मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डालती है।

TIMES OF INDIA, Chandigarh, 28.11.2020
Page No. 4, Size:(8.59)cms X (14.98)cms.

Dhindsa writes to NHRC over use of 'brute force'

TIMES NEWS NETWORK

Bathinda: Shiromani Akali Dal (Democratic) president **Sukhdev Singh Dhindsa** has written to the National Human Rights Commission chairperson against the central and Haryana governments, accusing them of using force against the farmers who were heading towards Delhi to protest the three recent agricultural laws.

Condemning the "brutality", the Rajya Sabha member said on Friday the governments had denied the right of farmers to protest peacefully by sealing borders and obstructing their movement.

"The farmers who were protesting peacefully suffered physical, as well as, financial loss as they were lathi-charged," he alleged, adding that at many places, their tractor-trolleys and trucks were also impounded and many farmers were even implicated in false cases.

In his letter, Dhindsa stated that the "immoral acts by the governments were in violation of human rights" and in view of these concerns action had been sought against them.